राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 305 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)–लखनऊ दिनांक– 16-4-16

सेवा में,

परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट आफिसर,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
लखनऊ।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र की आगामी द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक परियोजना अधिकारी डूडा के पत्र सं0–2150 / पी0ओ0 / डूडा / 2016 दिनांक 28.03.2016 एवं सं0–2006 / सीएमएमयू / सी0एल0सी0 / 15–16 दिनांक 24.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सूडा के पत्रांक 2518 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID) दिनांक 27.10.2014 एवं पत्रांक–4324 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID) दिनांक 03.02.2015 द्वारा स्वीकृत 05 शहरी आजीविका केन्द्र के द्वितीय किश्त अवमुक्त हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त पत्रों के माध्यम से डूडा लखनऊ द्वारा प्रेषित शहरी आजीविका केन्द्र के उपयोगिता प्रमाण पत्र, आय–व्यय विवरण एवं अनुपालन आख्या के अनुक्रम में स्वीकृत 05 सी0एल0सी0 की द्वितीय किश्त 40% की धनराशि निम्नानुसार नीचे लिखी शर्तो के साथ DAY-NULM के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र हेतु अवमुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	शहरी आजीविका केन्द्र स्थापित किये जाने का स्थल	प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	शहरी आजीविका केन्द्र जोन आफिस –1	10.00	3.00	4.00
2	शहरी आजीविका केन्द्र जोन आफिस –4	10.00	3.00	4.00
3	शहरी आजीविका केन्द्र जोन आफिस –5	10.00	3.00	4.00
4	शहरी आजीविका केन्द्र जोन आफिस –6(I)	10.00	3.00	4.00
5	शहरी आजीविका केन्द्र जोन आफिस –6(II)	10.00	3.00	4.00
	योग–	**50.00**	**15.00**	**20.00**

1. सी0एल0सी0 हेतु स्वीकृत धनराशि के उपभोग से पूर्व सी0एल0सी0 केन्द्रों को आत्म निर्भर बनाना अपरिहार्य होगा।
2. स्वीकृत के समय दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. केन्द्रवार सी0एल0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के सापेक्ष बाजार के अनुरूप निर्धारित दरों की बुकलेट भी तैयार करायी जाये, जिसमें समय–समय पर सम्बद्ध किये जाने वाले कामगारों के ट्रेड एवं बाजार के अनुरूप परिवर्तित दरों को अपडेट किया जायेगा।

4. आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर सी0एल0सी0 संचालन हेतु प्रस्तुत आय व्यय के आधार पर व्यावाहारिक एवं बढ़ोत्तरी हेतु कार्य योजना तैयार कर शहरी आजीविका केन्द्र संचालित किया जाये एवं तदानुसार नियमित अनुश्रवण भी कराया जायेगा।
5. कामगारों में सी0एल0सी0 के प्रति विश्वास एवं अपनापन विकसित किये जाने हेतु कामगारों की समय–समय पर विधिवत बैठक कर कार्यवृत्त तैयार किया जाये।
6. सी0एल0सी0 को आत्मनिर्भर/वाइबिल बनाने हेतु नगर निगम एवं अन्य सरकारी विभागों से बेहतर समन्वयन के माध्यम से आउटसोर्स किये जाने वाले कतिपय कार्य जैसे पार्कों का मेटीनेंस, सफाई कार्य, डाटा इन्ट्री आदि कार्य लिया जाये।
7. सी0एल0सी0 की सेवाओं हेतु एस0यू0एल0एम0 सूडा स्तर पर स्थापित काल सेन्टर का टोल फ्री नम्बर 1800180005 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।
8. सी0एल0सी0 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये बिजनेस प्लान/संशोधित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत दर्शित उपलब्धियों को पूर्ण किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का होगा।

इस प्रकार आपके शहर हेतु स्वीकृत–05 सी0एल0सी0 का संचालन उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में कराते हुए सघन मानीटरिंग की जाय ताकि सरकारी धन का उपयोग योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के परिपेक्ष्य में ही किया जाय तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
4. परियोजना अधिकारी/सिटी मिशन मैनेजर, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना सी0एम0एम0यू0, डूडा लखनऊ को अनुपालनार्थ।
5. सहायक वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक